

राजस्थान सरकार
विधि एवं विधिक कार्य विभाग

क्रमांक प.22(16)न्याय/2012

जयपुर, दिनांक 29.10.18

सचिव
नगर विकास प्रन्यास
उदयपुर।

विषय:—श्रीमती पूजा छीम्पा, (कनिष्ठ विधि अधिकारी) वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर को कार्यमुक्त करने बाबत।

संदर्भ:—आपका पत्र क्रमांक:—F.2()Accts/Misc/2018-19/880 दिनांक 12.10.2018 के क्रम में।

महोदय,

श्रीमती पूजा छीम्पा, कनिष्ठ विधि अधिकारी के पद पर इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.22(1)न्याय/2008 दिनांक 09.01.2013 द्वारा नियुक्ति प्रदान की गई। श्रीमती पूजा छीम्पा को कार्यभार सम्भालने की तिथि से 2 वर्ष की अवधि के लिए नियत पारिश्रमिक पर परिवीक्षाधीन प्रशिक्षणार्थी के रूप में जिला शिक्षा अधिकारी माध्यमिक, बीकानेर में नियुक्त किया गया। श्रीमती पूजा छीम्पा, कनिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय आयुक्त देवस्थान विभाग, उदयपुर में कार्यरत रहते हुए 2 वर्ष की परिवीक्षाधीन अवधि दिनांक 21.01.2015 को संतोषजनक रूप से पूर्ण कर ली है तथा इस विभाग की समसंख्यक आज्ञा दिनांक 02.07.2015 द्वारा श्रीमती छीम्पा का नियमितकरण कर दिया गया है एवं इस विभाग की आज्ञा क्रमांक प.22(1)न्याय/2018 दिनांक 14.08.2018 द्वारा श्रीमती पूजा छीम्पा को वरिष्ठ विधि अधिकारी के पद के विरुद्ध कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर में पदस्थापित किया गया है। श्रीमती पूजा छीम्पा का लियन इस विभाग में रखा जाएगा।

अतः श्रीमती पूजा छीम्पा, कनिष्ठ विधि अधिकारी को उनके प्रार्थना पत्र दिनांक 11.10.2018 के अनुसार आयुक्तालय, कॉलेज शिक्षा, राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक: एफ(23-29)RPSC/Appt/HRD/2017/4601 दिनांक 26.09.2018 के क्रम में कॉलेज व्याख्याता (असिस्टेन्ट प्रोफेसर भर्ती परीक्षा 2014) के अन्तर्गत असिस्टेन्ट प्रोफेसर विधि के पद पर कार्यग्रहण करने हेतु तुरन्त प्रभाव से कार्यमुक्त करने का श्रम करावें।

निर्वाचन विभाग के पत्र क्रमांक प.3(1)(15)।/निर्वा./2018/8173 दिनांक 22.10.2018 से आचार संहिता के अन्तर्गत श्रीमती पूजा छीम्पा, (कनिष्ठ विधि अधिकारी) वरिष्ठ विधि अधिकारी को कार्यमुक्त सहमति प्राप्त कर ली गई है।

भवदीय



(मधुसूदन शर्मा)

संयुक्त शासन सचिव

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है:—

1. श्रीमती पूजा छीम्पा, (कनिष्ठ विधि अधिकारी) वरिष्ठ विधि अधिकारी, कार्यालय नगर विकास प्रन्यास, उदयपुर।
2. प्रोग्रामर, विधि एवं विधिक कार्य विभाग को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
3. रक्षित पत्रावली


29/10/18
संयुक्त शासन सचिव